न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/06/2022 दायर दिनांक 14.12.2022

उनवान

1. मांगीदेवी पिता नारायण लाल माता चुन्नीबाई जाति अहीर आयु वयस्क निवासी कोलपुरा, तहसील कपासन हाल मुकाम अहीर मोहल्ला रामाखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. रामीदेवी पिता नारायण लाल माता चुन्नीबाई जाति अहीर आयु वयस्क निवासी कोलपुरा, तहसील कपासन हाल मुकाम लसाडियाखुर्द तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत करूंकडा, तहसील कपासन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. सचिव ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत करूंकडा नामान्तरण सं 296, दिनांक 02.06.2021

निर्णय दिनांक: 24.01.2023

—: निर्णय :—

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत की कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन ने इन्तकाल नं0 296 दिनांक 02.06.2021 को खारिज कर विधि विरूद्ध निर्णित की है।

यह कि उक्त इन्तकाल नम्बर 296 दिनांक 02.06.2021 मृतक चुन्नीबाई पुत्री देव अहीर निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन के विरासत के इन्तकाल की कार्यवाही की थी।

यह कि मृतक चुन्नीबाई के विरासत का इन्तकाल विधिवत पटवारी पटवार हल्का द्वारा भर ग्राम पंचायत करूकडा में [illegible] जिसे उत्तराधिकारियों ने हक रसूख विवाद अंकित कर दिनांक 21/06/2021 को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested

यह कि चुन्नीबाई के पति नारायण लाल पुत्र नाथू अहीर निवासी कोलपुरा की मृत्यु भी दिनांक 20.03.2022 को हो गई जिससे उक्त मृतक चुन्नीबाई के विधिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारीस मांगीदेवी, रामीदेवी अहीर ही शेष रहे है जिनके नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाकर मृत्तक चुन्नीबाई पुत्री देव जी अहीर निवासी पीपलखेडी के खातेदारी की आराजीयात इन्तकाल खुला राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपीलाण्ट मांगीदेवी, रामीदेवी के नाम खाते दर्ज कराया जाना आवश्यक है। मृत्तक चुन्नीबाई एवं अपीलान्ट का संयुक्त हिन्दु परिवार होकर मृत्तक चुन्नीबाई के खातेदारी की आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त की है। अपीलान्ट मांगीदेवी रामीदेवी के अलावा मृत्तक चुन्नीबाई के अन्य कोई जायन्दा विधिक वारीस नहीं है। अपील के साथ प्रमाणित नकल इन्तकाल संख्या 296 फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र चुन्नीबाई पुत्री देवजी, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण लाल पुत्र नाथू, प्रमाणित नकल जमाबन्दी संवत 2074—2077 खाता संख्या 26, 37, 39, 40 ग्राम पीपलखेडी पटवार हल्का करूकडा खातेदार चुन्नीबाई पुत्री देव जी आदि पेश है।

यह कि इन्तकाल नम्बर 296 दिनांक 02.06.2021 मे पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम मांगीबाई, रामीबाई अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त करा मांगीदेवी, रामीदेवी कराया जाना आवश्यक है क्योंकि उनके तमाम पहचान के दस्तावेजों में रामीदेवी मांगीदेवी अंकित है।

— अन्त में प्रार्थना की कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमा मृत्तक चुन्नीबाई के खातेदारी की आराजीयात का इन्तकाल विधिक वारीसान अपीलान्ट मांगीदेवी, रामीदेवी के नाम खुला खाते दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। उभयपक्ष की बहस अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत करूंकडा द्वारा पारित आदेश बाबत इन्तकाल संख्या 296 दिनांक 02.06.2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक चुनीबाई पुत्री देवजी जाति अहीर के विधिक वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official